अध्यापक शिक्षा — समस्याएँ एवं चुनौतियाँ

*सतीश कुमार यादव**

विद्यालयी शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए गुणवत्तापूर्ण अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता पर विभिन्न आयोगों, समीतियों, और शिक्षा नीतियों ने समय-समय पर ज़ोर दिया है। विशेष रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) ने अध्यापक शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन किए जाने का सुझाव दिया। एन.सी.टी.ई., एन.सी.ई.आर.टी. व अन्य संस्थाओं/संगठनों द्वारा भी अध्यापक शिक्षा में बदलाव के प्रयत्न किए जाते रहे हैं। इसके बावजूद अध्यापक शिक्षा में अपेक्षित परिवर्तन नहीं हो पाया है। प्रस्तुत लेख में अध्यापक शिक्षा से जुड़ी कुछ समस्याओं एवं चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है और उनके समाधान भी सुझाए गए हैं ताकि अध्यापक शिक्षा को सशक्त व विद्यालयी शिक्षा के अनुकूल बनाया जा सके।

अध्यापक शिक्षा व विद्यालयी शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं। अध्यापक शिक्षा से ही विद्यालयी शिक्षा में सुधार लाया जा सकता है क्योंकि अध्यापक शिक्षा द्वारा अध्यापकों को तैयार किया जाता है और उनको इस दौरान आवश्यक ज्ञान व कौशल दिया जाता है।

अध्यापक शिक्षा हमारे देश में आज़ादी से पहले भी थी परंतु भारत सरकार ने अध्यापक शिक्षा की मुख्य भूमिका के बारे में विचार की आवश्यकता बहुत समय बाद महसूस की, विशेषकर आज़ादी के बाद और इसमें सुधार लाने के काफ़ी प्रयास किए । सन् 1947-48 में माध्यमिक स्तर पर केवल 51 संस्थान थे जो कि सन् 2009 में बढ़कर 8000 से भी ज़्यादा हो गए हैं । अध्यापक शिक्षा में सुधार लाने के लिए इस दौरान कई कमेटियों, कमीशन व आयोगों का गठन किया गया।

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948) ने पूर्व अध्यापक शिक्षा में सिद्धांत व व्यवहार को समाहित करने का सुझाव दिया और बताया कि सैद्धांतिक पाठ्यक्रमों में लचीलापन होना चाहिए और

*प्रोफ़ेसर, अध्यापक शिक्षा एवं विस्तार विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली.

सेवाकालीन कार्यक्रमों के द्वारा शिक्षकों में जागरूकता लाई जानी चाहिए। इन्हीं सुझावों के अंतर्गत बड़ौदा में सन् 1950 में अध्यापक शिक्षा पर राष्ट्रीय स्तर के अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्यों का सम्मेलन हुआ। इसमें आए सुझावों के मद्देनज़र कई विश्वविद्यालयों ने अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को बदला।

माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53) ने अध्यापक शिक्षा में मूल्यांकन की नयी तकनीकों के प्रयोग का सुझाव दिया था व साथ ही योग्य व कुशल व्यक्तियों को शिक्षण व्यवसाय में लाने के लिए भी सुझाव दिया था। इस आयोग की रिपोर्ट के अनुसार प्रशिक्षण दो तरह के होने चाहिए। पहला, स्कूली शिक्षा के बाद दो साल का प्रशिक्षण और दूसरा स्नातक के बाद एक साल का प्रशिक्षण। सन् 1960 के दौरान एक मुख्य बदलाव आया। राष्ट्रीय स्तर के कई संस्थानों को मिलाकर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् को बनाया गया। इस संस्थान में अध्यापक शिक्षा विभाग भी बनाया गया और चार क्षेत्रीय शैक्षिक संस्थान, अजमेर, भुवनेश्वर, भोपाल व मैसूर में बनाए गए। इन संस्थाओं में माध्यमिक स्तर के बी.एड. प्रशिक्षण के अंतर्गत अच्छे अध्यापक तैयार किए गए और एक नवीन कार्यक्रम भी शुरू किया गया, जिसमें हायर सैकेंडरी के बाद चार वर्ष का बी.एस.सी. बी.एड का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाने लगा। एन.सी.ई.आर.टी. ने सेवापूर्व के साथ सेवाकालीन कार्यक्रम भी शुरू किए। इसके साथ 1964 में विभिन्न राज्यों में राज्य शैक्षिक संस्थान खोले गए। इससे अध्यापकों को राज्य स्तर पर सेवाकालीन प्रशिक्षण दिए गए।

शिक्षा आयोग (1964-66) ने अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने पर बल दिया। इस आयोग ने सुझाया कि अध्यापक शिक्षा संस्थानों में स्कूली शिक्षा, व्यावहारिक जीवन, व विश्वविद्यालयों के अकादमिक जीवन के बीच सामंजस्य बनाया जाए और आपस की दूरियों को कम किया जाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यापक शिक्षा में सुधार लाने के लिए प्राप्त धन उपलब्ध कराए। सेवा के दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन विश्वविद्यालयों और शिक्षक संगठनों द्वारा किया जाए और हर पाँच साल में इस तरह के कार्यक्रम में हर शिक्षक को दो-तीन महीने बिताना अनिर्वाय हो; इस तरह कार्यक्रम आंकड़ों के आधार पर तय होने चाहिए और प्रशिक्षण संस्थानों को साल भर सेमिनार, कार्यशालाएँ, रिफ्रेशर कोर्स, ग्रीष्मकालीन इंस्टीट्यूट आयोजित कराने चाहिए ।

सन् 1973 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (नेशलन कांउसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, एन.सी.टी.ई.) का गठन किया जो कि अध्यापक शिक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर एक सलाहकार समिति के रूप में कार्य करे और अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रमों की समय-समय पर मापदंडों के अनुसार समीक्षा करे। इसका मुख्यालय अध्यापक शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी. नयी दिल्ली में बनाया गया। सन् 1976 में एन.सी.टी.ई ने चार सुझाव दिए। पहला, अल्पकालीन सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विश्वविद्यालय स्वीकृति दे। दूसरा, स्कूल अध्यापकों को विस्तार सेवाओं से जोड़ा जाए। तीसरा, हर ज़िले में मानव संसाधन व पठन-पाठन सामग्री के निर्माण के लिए अध्यापक केंद्र खोले जाएँ और चौथा, पत्राचार द्वारा सेवाकालीन

प्रशिक्षण शुरू किए जाएँ और उनमें आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाए। एन.सी.टी.ई. ने 1978 व 1988 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाई व प्रकाशित की।

चट्टोपाध्याय समिति (1983-85) की यह सिफ़ारिश थी कि बारहवीं कक्षा के बाद माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के प्रशिक्षण की अवधि पाँच वर्ष होनी चाहिए ताकि उन्हें सामान्य व व्यवसायिक शिक्षा साथ-साथ दी जा सकें। शुरु में चार वर्ष का एकीकृत कोर्स चलाया जाए। इसमें यह भी सुझाव दिया गया था कि विज्ञान और कला संबंधी कॉलेजों में एक शिक्षा विभाग की भी स्थापना होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी शिक्षक-शिक्षा के विषय में पढ़ सकें। इसके साथ शिक्षक केंद्रों का विचार भी सामने रखा गया था जिसे एक मिलन मंच की तरह लिया जाए, जहाँ लोग इकट्ठे हों और अपने अपने अनुभवों पर विचार-विमर्श करें। इसका सुझाव था कि शिक्षक शिक्षावकाश में ज्ञान के केंद्रों की यात्रा पर जा सकते हैं ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) ने अध्यापक शिक्षा को पूर्ण रूप से बदलने व इसकी समीक्षा का सुझाव दिया और आगे तीन और सुझाव दिए - (1) अध्यापक शिक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है। सेवापूर्व व सेवारत अध्यापक शिक्षा एक दूसरे से जुड़े हैं और इनको अलग नहीं किया जा सकता। (2) अध्यापक शिक्षा के नये कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुख्य बिंदुओं के अनुसार हों। (3) राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ही अध्यापक शिक्षा के नये प्रशिक्षण संस्थान हों और उसी के अनुसार संस्थानों को मज़बूती प्रदान की जाए। यह भी सुझाव दिया गया कि केंद्र की सहायता से अध्यापक शिक्षा के पुनर्गठन व पुनर्निर्माण की योजना बनाई जाए जिसमें अध्यापकों के लिए अभिमुखीकरण व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का प्रावधान हो और अध्यापकों के सतत् ज्ञान, योग्यता व कौशल में वृद्धि के लिए अच्छे संस्थान, अकादमिक व टैक्नीकल संसाधन उपलब्ध कराए जाएँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) ने सेवापूर्व और सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा को एक सतत् प्रक्रिया में जोड़ दिया। इसने हर ज़िले में ज़िला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) की कल्पना की। 250 शिक्षा महाविद्यालयों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें शिक्षक-शिक्षा महाविद्यालय (कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन) बनाने के लिए सिफ़ारिश की। साथ ही 50 उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान (इंस्ट्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन एजुकेशन) स्थापित करने के लिए कहा और राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्ों को मज़बूत किए जाने की बात भी कही।

आचार्य राममूर्ति समीक्षा समिति (1990) ने रिफ्रेशर कोर्स आदि को शिक्षकों की विशेष आवश्यकताओं से जोड़े जाने की संस्तुति की और सुझाव दिया कि मूल्यांकन और उसके बाद फॉलोअप की गतिविधियाँ भी इस योजना का हिस्सा बना दी जाएँ। सेवाकालीन कार्यक्रमों के लिए दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था बनाई जाए जिसमें दूरदर्शन, रेडियो, प्रिंट मीडिया का प्रयोग किया जाए और फेस-टू-फेस कार्यक्रमों का भी प्रावधान हो। परंतु समिति ने यह भी सुझाया कि अध्यापक शिक्षा की पहली डिग्री पत्राचार द्वारा नहीं देनी चाहिए।

यशपाल समिति की रिपोर्ट (1993) "शिक्षा बिना बोझ के में लिखा है कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की कमी के कारण स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता असंतोषजनक रही है।" इन प्रशिक्षण

कार्यक्रमों का पाठ्यक्रम स्कूल की बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए । इन कार्यक्रमों में इस बात पर बल देना चाहिए कि प्रशिक्षणार्थियों में स्व-अधिगम और स्वतंत्र-चिंतन की योग्यता का विकास हो सके ।

सन् 1993 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् संवैधानिक रूप में पार्लियामेंट के एक्ट से स्थापित की गई। ताकि देश में अध्यापक शिक्षा के मापदंड़ों व मानकों का निर्धारण व रखरखाव किया जा सके। सन् 1998 में एन.सी.टी.ई ने अध्यापक-शिक्षा पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जिसमें विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न स्तर पर अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रमों की चर्चा की गई है। इसने बी.एड. कार्यक्रम की अवधि एक वर्ष से दो वर्ष करने का सुझाव दिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी 1990 तथा 2001 में मॉडल अध्यापक शिक्षा का पाठ्यक्रम बनाया तथा सन् 2006 में एन.सी.टी.ई व एन.सी.ई. आर.टी. के सहयोग से अध्यापक शिक्षा का पाठ्यक्रम बना है जिसको अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न संस्थानों से सुझाव लिए जा रहे हैं।

इन सभी प्रयासों के बावजूद अध्यापक शिक्षा में अपेक्षित गुणात्मक विकास नहीं हो सका है और कई समस्याएँ व चुनौतियाँ इससे जुड़ी हैं जिनकी इस लेख में चर्चा की गई है। इनका समाधान किए बिना अध्यापक शिक्षा में सुधार लाना कठिन है।

अध्यापक-शिक्षा की चुनिंदा समस्याएँ एवं चुनौतियाँ

- भारत सरकार ने केंद्र की सहायता से अध्यापक शिक्षा योजना के अंतर्गत सभी राज्यों में लगभग 580 ज़िला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान, 104 शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय व 31 उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान स्थापित किए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) के अनुसार ये संस्थान अध्यापक-शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने में सहायक सिद्ध होंगे और अध्यापकों को सेवापूर्व व सेवाकालीन प्रशिक्षण निरंतर रूप से प्रदान करेंगे। परंतु ये संस्थान जिन उद्देश्यों के लिए बने थे वे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर संस्थान तो केवल सेवापूर्व अध्यापक प्रशिक्षण ही कर रहे हैं और उन्होंने केवल अपने संस्थानों का नाम ही बदला है। इन संस्थानों में शोध का कार्य न के बराबर है। इस योजना के तहत राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों को भी वित्तीय सहायता दी गई परंतु इन संस्थानों में भी कोई खास सुधार नहीं हुआ। इस योजना की समीक्षा व पुनर्विचार की आवश्यकता है ताकि सभी संस्थान निर्धारित उद्देश्यों के अंतर्गत कार्य कर सकें और अध्यापक शिक्षा में सुधार ला सकें।
- हमारे देश में माध्यमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा में चार मॉडल हैं। पहला मॉडल चार वर्ष का एकीकृत बी.एड. (विज्ञान और कला में स्नातक के साथ में) और दूसरा दो वर्ष का बी.एड. कोर्स है। यह दोनों कोर्स एन.सी.ई. आर.टी. के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर व मैसूर में चल रहे हैं। तीसरा, एक वर्ष का बी.एड. बाकी देश के सभी विश्वविद्यालयों में चल रहा है। चौथा, दो वर्ष का बी.एड. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली में दूरस्थ शिक्षा के तहत चल रहा है। इन सभी प्रारूपों में

सिद्धांत और अभ्यास (theory and practice) एकीकृत नहीं है। इसके साथ विषयवस्तु व शिक्षाशास्त्र (content and pedagogy) का भी एकीकरण नहीं है। सभी तरह के मॉडलों की समयावधि अलग-अलग है। पाठ्यक्रम में सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) का प्रयोग नहीं के बराबर है। इन सभी मुद्दों का अनुसंधान व शोध के माध्यम से हल ढूँढ़ना चाहिए ताकि बी.एड. कार्यक्रम से मननशील शिक्षक (reflective teacher) तैयार हो सकें।

- अध्यापक शिक्षा व विद्यालयी शिक्षा का आपस में तालमेल नहीं है। सेवापूर्व अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों व अध्यापकों की आवश्यकताओं के बारे में बहुत कम चर्चा की गई है। सेवापूर्व अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 के अनुसार बदला जाए ताकि दोनों पाठ्यक्रमों में सामंजस्य हो सके और विद्यार्थियों की आवश्यकतानुसार अध्यापक शिक्षा को एक नया दृष्टिकोण दिया जा सके।
- अध्यापक शिक्षा के आँकड़ों के लिए कोई पुख्ता प्रबंध व्यवस्था नहीं है। इसके बिना अध्यापकों की सँख्या, पाठ्यक्रम की स्थिति, पठन पाठन की विभिन्न विधियाँ, मूल्याँकन विधियाँ व अन्य महत्त्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जानकारी कहीं एक जगह उपलब्ध नहीं है। बिना आँकड़ों के, आवश्यकतानुसार अध्यापक-शिक्षा में कार्यक्रम तैयार करने में कठिनाई महसूस की जाती है। आधुनिक तकनीकी के प्रयोग द्वारा सूचनार्थ व्यवस्था तैयार की जाए जिससे सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय इत्यादि का आपस में तालमेल हो और ऐसी सुविधा हो कि अध्यापक शिक्षा से संबंधित सभी आंकड़े एक जगह उपलब्ध हो और नेटवर्क तथा संपर्क व्यवस्था बनाई जाए। अध्यापक शिक्षा में इस व्यवस्था के आधार पर समय समय पर नये कार्यक्रम तैयार किए जाएँ।
- अध्यापक-शिक्षा के पाठ्यक्रम की रूपरेखा राष्ट्रीय स्तर पर एन.सी.ई.आर.टी., एन.सी.टी.ई व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तीन संस्थानों द्वारा तैयार की जाती है। इन तीनों संस्थाओं का आपस में तालमेल नहीं है। इन तीनों संस्थानों का आपस में तालमेल बढ़ाए जाने की आवश्यकता है ताकि अध्यापक-शिक्षा के पाठ्यक्रम की रूपरेखा सही दिशा में बने और अध्यापक-शिक्षा के मुख्य बिंदुओं को सभी पाठ्यक्रम प्रारूपों में दर्शाया जा सके।
- हमारे देश में बी.एड. की सामान्य डिग्री दी जाती है जिससे भावी शिक्षक प्राइमरी से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक स्कूलों में शिक्षण कार्य कर सकता है। प्रत्येक स्तर पर विशेष प्रकार के ज्ञान व कौशलों की आवश्यकता होती है। इस बी.एड. सामान्य की जगह बी.एड. डिग्री हर स्तर पर अलग-अलग होनी चाहिए और उसी स्तर के अनुसार अध्यापक तैयार किए जाने चाहिए। इसी तरह स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा में भी अलग से अध्यापक तैयार किए जाने चाहिए।
- उच्च शिक्षा में अध्यापन के लिए अध्यापक-शिक्षा नहीं दी जाती। किसी भी विषय में मास्टर डिग्री के बाद उच्च शिक्षा में प्रवक्ता

बना जा सकता है और अपना विशिष्ट विषय पढ़ाया जा सकता है। परंतु हर विषय को पढ़ाने का एक विशेष शिक्षाशास्त्र होता है। हर विषय का ज्ञान व कौशल भी भिन्न होता है। उच्च शिक्षा में भी अध्यापक शिक्षा को शुरू किया जाए ताकि प्रवक्ता अपने विषय को पेशेवर ढंग से पढ़ाने के लिए तैयार हो सके।

- सेवाकालीन शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कोई स्थायी योजना नहीं है जिससे कि अध्यापकों को प्रशिक्षण लगातार सुचारू रूप से दिया जा सके। ज़्यादातर प्रशिक्षण कार्यक्रम तदर्थ रूप से आयोजित किए जाते हैं। इससे सभी अध्यापकों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए एक योजना बनाई जाए जिसके तहत सभी प्राध्यापकों को सुचारू व सुसंगठित रूप से समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जा सके ताकि वे प्रोफेशनली योग्य बन सकें।
- अधिकतर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्राय: आमने-सामने (face-to-face) प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है जिसमें एक समय में बहुत कम अध्यापकों को प्रशिक्षण मिल पाता है। साथ ही इस तरह के प्रशिक्षण कई स्तरों पर आयोजित किए जाते हैं। परंतु कई स्तरों पर प्रशिक्षण में सूचनाएँ व ज्ञान कई बार गलत ढंग से प्रस्तुत हो जाती हैं। इसलिए अध्यापक प्रशिक्षण में दूरस्थ विधि का भी प्रयोग करना चाहिए ताकि इस विधि द्वारा ज़्यादा सँख्या में अध्यापकों व प्राध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जा सके। इसके साथ ही विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षणों की आवश्यकता भी नहीं होगी और सभी केंद्रों पर एक जैसा प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। इस माध्यम के लिए टेलीकांफ्रैसिंग विडियोंकांफ्रेसिंग का प्रयोग किया जा सकता है । एन.सी.ई.आर.टी. ने इस माध्यम से विभिन्न राज्यों के अध्यापकों व प्राध्यापकों के लिए सन् 1996 से अब तक कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। दूसरे संस्थान भी इन तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं। परंतु इस प्रणाली का प्रयोग व्यापक रूप से सभी संस्थानों द्वारा किया जाना चाहिए।
- राष्ट्रीय व राज्य स्तर के संस्थानों में बहुत प्रकार की प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध है। परंतु यह सामग्री इन संस्थानों तक ही रह जाती है और यह उन स्कूलों व संस्थानों तक नहीं पहुँच पाती जो देश के दुर्गम स्थानों में स्थित हैं। इस प्रकार की सामग्री को देश के दूर-दूर तक बसे सभी संस्थानों में भेजा जाए और एक ऐसी योजना बनाई जाए जो सुचारू रूप से कार्य करे ताकि सभी संस्थानों को शिक्षण व प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध हो सके।
- प्राय: अध्यापक-शिक्षा में अनुसंधान व नये प्रयोगों का योजनाबद्ध तरीके से प्रचलन नहीं है और उन्हें प्रोत्साहन भी नहीं दिया जा रहा है। अध्यापक-शिक्षा में नये-नये प्रयोग किए जाने चाहिए ताकि शिक्षा जगत से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो सके और समय-समय पर शैक्षिक प्रक्रिया में सुधार भी लाया जा सके। इसके साथ ही अध्यापक-शिक्षा कार्यक्रमों के सतत् मूल्याँकन की भी आवश्यकता है ताकि सेवापूर्व व सेवाकालीन

प्रशिक्षणों में लगातार सुधार प्रक्रिया जारी रहे। सेवाकालीन प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षणों के प्रभाव का अध्ययन किया जाए और देखा जाए कि प्रशिक्षण से स्कूल प्रक्रिया में कुछ सुधार हुआ या नहीं।

शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रम को इस तरह से पुनर्निमित किए जाने की आवश्यकता है कि वे स्कूल पाठ्यचर्या नवीकरण की प्रक्रिया और अपने क्षेत्र विशेष के संदर्भ में प्रासंगिक हो सकें (एन.सी.ई.आर.टी. 2009)।

निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि विभिन्न आयोगों व समीतियों जिनकी चर्चा इस पेपर में की है, के सुझावों को दृढ़तापूर्वक क्रियान्वित किया जाए तो अध्यापक शिक्षा की चुनौतियों का सामना किया जा सकेगा। इसके साथ ही उपर्युक्त विभिन्न सुझावों को क्रियान्वयन करने के लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाए जाएँ ताकि अध्यापक शिक्षा की समस्याओं व चुनौतियों का हल निकल सके और इनमें सुधार भी लाया जा सके।

संदर्भ

मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, 1948. *रिपोर्ट आफ दी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन*, गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया, नयी दिल्ली

1952. *रिपोर्ट ऑफ दी सैकेंड्री एजुकेशन कमीशन*, गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया, नयी दिल्ली

1964. *एजुकेशन एण्ड नेशनल डेवलपमेंट*, रिपोर्ट ऑफ दी एजुकेशन कमीशन (1964-66) गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया, नयी दिल्ली

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 1986, 1992. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति*, भारत सरकार, नयी दिल्ली

1990. *टूवर्ड्स एन एनलाटैन्ड एण्ड ह्यूमेन सोसायटी*, आचार्य राममूर्ति रिव्यू कमेटी, भारत सरकार, नयी दिल्ली

1993. *शिक्षा बिना बोझ के*, यशपाल कमेटी रिपोर्ट, भारत सरकार, नयी दिल्ली

1995. *दी टीचर एण्ड सोसाईटी*, चट्टोपाध्याय कमेटी रिपोर्ट, भारत सरकार, नयी दिल्ली

नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, 1998. *करिकूलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन*, एन.सी.टी.ई., नयी दिल्ली

एन.सी.ई.आर.टी., 2005. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005)*, एन.सी.ई.आर.टी.,नयी दिल्ली

2009. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) *पाठ्यचर्या नवीकरण के लिए शिक्षक-शिक्षा राष्ट्रीय फोकस समूह का आधार पत्र*, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली

यादव, एस.के., 2003. क्वालिटी इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, *यूनिवर्सिटी न्यूज*, वॉल्यूम 41, नं. 40, अक्तूबर (06-12)

2008. इनोवेशन इन एलीमेन्ट्री टीचर एजुकेशन, *यूनिवर्सिटी न्यूज*, वॉल्यूम 46, नं. 45, नवंबर (10-16)

2009. *ए स्टडी ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम एट, सैकेंड्री स्टेज इन डिफरेन्ट स्टेटस ऑफ इण्डिया*, अनपब्लिश्ड रिपोर्ट, डी.टी.ई.ई., एन.सी.ई आर.टी, नयी दिल्ली